

न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
(The Judiciary: Supreme court and high court)

- संघात्मक राज्य होने के बावजूद हमारे यहाँ स्वीकृत न्यायपालिका है। क्योंकि देश में न्याय के प्रशासन की इकट्टी व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरी है। व राज्यों के अंश के उच्च न्यायालय उसके अधीन है। उच्च न्यायालय सौजन्यतावशा राज्यों के शासन के तृतीय अंग कहे जाते हैं। वास्तव में वे केंद्रीय शासन के तृतीय अंग के उपभोग हैं। उच्च न्यायालयों केका संगठन व क्षेत्राधिकार संघीय विषय हैं। राष्ट्रपति अपने इलाहाबाद व मुंबई के भाईशानुसार उच्च न्यायालयों को ~~संगठन~~ व पुरान व अन्य न्यायाधिशों की नियुक्ति करता है। तथा उन्हें एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय में पुरान व अन्य न्यायाधिशों की नियुक्ति करता है।

सर्वोच्च न्यायालय
(Supreme court)

देश की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संघीय न्यायालय (Federal court) को 1950 में उसका स्तर ठीका करके सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी गयी है।

गठन (Composition) → संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की थी। 1956 में सहचक न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गयी। यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के ~~कक्ष~~ व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।